न्यायालय जिला कलेक्टर,जालोर

पीठासीन अधिकारी ***श्री महेन्द्र सोनी***

आई.ए.एस

अपीलान्टस	***बनाम***	***रेस्पोडेन्टस***
1.उदाराम पुत्र जामारामजी		1.देवाराम पुत्र गोवाजी
2.रावताराम पुत्र परखाजी		2.पांचाराम पुत्र गोवाजी
3.तेजाराम पुत्र रामजी		3.पुनमाराम पुत्र गोवाजी
4.मानीबेवा रामजी		4.हरीराम पुत्र गोवाजी
5.रगाराम पुत्र भुताजी		5.डामरा पुत्र मोटाजी
6.पुनमा पुत्र भुताजी		6.हकमा पुत्र मोटाजी
7.नगाराम पुत्र भुताजी		7.मोहन पुत्र मोटाजी
जातियान चौधरी निवासी		8.धापु पत्नि मोटाजी जातियान
अरणाय तहसील सांचोर		चौधरी निवासी डाडुसन
जिला जालोर		तहसील सांचोर जिला जालोर
		9.शाखा प्रबन्धक (यूको बैंक)
		सांचोर
		10.नायब तहसीलदार सांचोर

प्रकरण संख्या अपील ***09/2017***

राजस्थान भू राजस्व अधिनियम अपील निर्णय नायब तहसीलदार सांचोर द्वारा ग्राम डाडुसन के गत खसरा नंबर 138 के म्युटेशन संख्या 70 स्वीकृत दिनांक 20.08.1971 को निरस्त करने बाबत।

.....

पक्षकारान के अभिभाषकगण:-

1- श्री सवाराम चौधरी अभिभाषक अपीलान्टस

2- श्री जगदीश गोदारा अभिभाषक रेस्पोडेन्टस

3- श्री छोटूसिंह, सरकारी अभिभाषक

निर्णय

दिनांक:- 23.10.2019

अपीलान्ट के वकील द्वारा अपील प्रस्तुत करने पर बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्टस को जरिये सम्मन सूचित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय से संबंधित अपीलाधीन रेकर्ड तलब किया गया। प्रकरण में बहस सुनी गई।

संक्षिप्त में अपीलांट के द्वारा अपील में यह अंकित किया कि ग्राम डाडुसन के गत खसरा नंबर 138 के फौतदगी का म्युटेशन नंबर 70 पटवारी हल्का के द्वारा दिनांक 04.05.1970 को भरा गया जो नायब तहसीलदार सांचोर के द्वारा दिनांक 20.08.1971 को स्वीकृत किया गया जिससे असन्तुष्ट होकर यह अपील निम्न आधारो पर पेश की जा रही है।म्युटेशन के नियमो के विरूद्ध जाकर

म्युटेशन भरने में बडी भारी कानूनी व वाक्याती भूल की है जो काबिल खारिज है।फौतदगी का म्युटेशन स्वीकृत करने का अधिकार ग्राम पंचायत को है जबकि इस मामले में पटवारी हल्का द्वारा म्युटेशन ग्राम पंचायत में पेश नही किया था।पटवारी हल्का द्वारा फौतदगी के बारे में कोई रिपोर्ट मृत्यु प्रमाण पत्र,उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र इत्यादि कोई रेकर्ड पर लिये बिना ही म्युटेशन भरने में कानूनी भूल की है।जामा के फौत होने के बाद उसके भाई के नाम से म्युटेशन भरने में कानूनी भूल की है क्योकि जामा नाऔलाद या अविवाहित नही था।जामा के जाईन्दा औलाद जीवित होते हुए भी उसके भाईयो के नाम से बिना किसी आधार व सबुत के म्युटेशन गलत तरीके से भरा गया है। जिसमें मिली भगत होना मालुम होता है जो अपने आप में संदेह पैदा करता है।म्युटेशन स्वीकृत करने से पहले जामा के उत्तराधिकारियो की जानकारी प्राप्त करके उनके वारिशानो को नोटिस देकर सुनवाई करने के बाद ही आगे की कार्यवाही करनी चाहिए थी जो नही करके नियमो की अवहेलना ही है।म्युटेशन के नियम 21 व 22 की पालना ही की गई है।पंचायत के प्रमाण पत्र के आधार पर जामा की वंशावली निम्न प्रकार है।

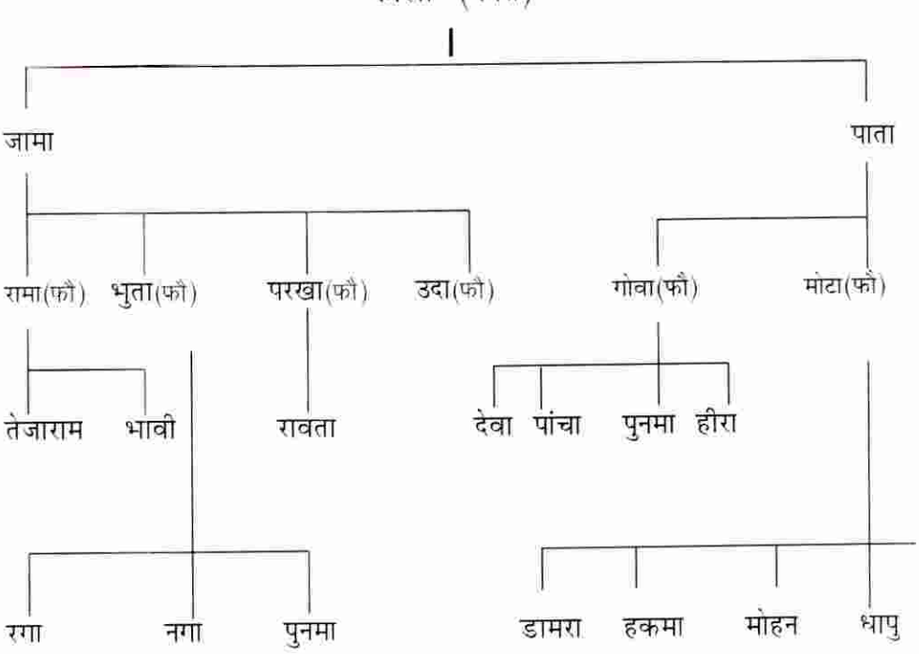

ग्राम डाडुसन के गत खसरा नंबर 138 के नये खसरा नंबर 249, 250 252/289, 286, 289, 290, 291 बने है जिसका मिलान क्षेत्रफल साथ में पेश है जिसकी गत जमाबंदी सवंत 2012 से 2015 तक व वर्तमान जमाबंदी सवंत 2071 से 2074 तक की साथ में पेश है।ग्राम डाडुसन की विवादित आराजी की प्रथम जमाबंदी के अनुसार यह जमीन पुश्तैनी थी तथा पुश्तैनी आराजी में प्रत्येक बेटे का कानूनी अधिकार (खातेदारी)है।जिसके कारण यह अपील पेश की जा रही है। पटवारी रिपोर्ट में म्युटेशन सीधा भाई के नाम से भरा गया है जिसमें यह स्पष्ट नही किया गया है कि वक्त मृत्यु जामा

अविवाहित था या नाऔलाद था।इस प्रकार की कोई रिपोर्ट रेकर्ड पर नही ली गई है।बिना सबुत व रेकर्ड के पटवारी को म्युटेशन भरने का कोई अधिकार नही था।नियम के विरूद्ध स्वीकृत किये गये म्युटेशन की कोई म्याद ही होती है।यानि लीगल आर्डर में म्याद बाधित नही होती है।उपरोक्त आराजी पर हमारा कब्जा है बिना कब्जे के म्युटेशन को स्वीकृत नही किया जा सकता था।जामा व पाता सगे भाई थे जो स्वंय में ही दर्ज है जिसमें अपीलांट का 1/2 हिस्सा बनता है।जो पुश्तैनी जमाबंदी में 1/2 हिस्सा दर्ज है।ग्राम पंचायत के प्रमाण पत्र के अनुसार भी 1/2 हिस्सा प्रमाणित है।अपीलांट के पुश्तैनी जमीन ग्राम अरणाय में भी आई हुई है जिसमें भी अपीलांट का 1/2 हिस्सा दर्ज है जो सवंत 2012 से आज दिन तक बदस्तुर चला आ रहा है।यानि अपीलांट की पुश्तैनी आराजी में जामा के वारिशान होना मानकर म्युटेशन स्वीकृत कर जमाबंदी में नाम दर्ज किया गया है।एक ही व्यक्ति का दो अलग अलग गावो में अलग-अलग म्युटेशन कैसे भरा गया यह विचारणीय बिन्दु है।यानि एक ही आदमी के फौतदगी के बाद डाडुसन में वारिशान नही मानकर उसके भाई के नाम म्युटेशन भरा गया तथा ग्राम अरणाय में जामा के वारिशान को जीवित होना मानकर अपीलांटगण के नाम म्युटेशन भरा गया।जबकि व्यक्ति वही है केवल ग्राम व पटवारी अलग अलग है।अपीलांटगण को म्युटेशन का उस समय पता चला जब आपस में बंटवाडा करने का फैसला किया गया ताकि आवश्यकता अनुसार के.सी.सी या अन्य सरकारी सुविधा व लोन वगैरा ले सके।जिसपर अपीलांटगण पटवारी हल्का के पास दिनांक 13.04.2017 को गये तो पटवारी द्वारा कहा गया कि आपका नाम तो खाते में दर्ज ही नही है आप जालोर जाकर पुरानी नकले लेकर कानूनी कार्यवाही करो जिस पर हमने जालोर आकर नकले मांगी जो नकले हमे दिनांक 27.04.2017 को प्राप्त हुई जिस पर हमे पुरे मामले की जानकारी प्राप्त हुई जिससे यह अपील इल्म की तारीख से अन्दर म्याद है।उपरोक्त अपील के साथ लिमिटेशन एक्ट की धारा 5 के अन्तर्गत अलग से प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर रहे है जिसे इस अपील अभिन्न अंग समझा जावे।उक्त आदेश की अपील प्रथम बार पेश की जा रही है।अत:अपील अपीलांटस पेश कर निवेदन है कि नायब तहसीलदार सांचोर द्वारा ग्राम डाडुसन के गत खसरा नंबर 138 के म्युटेशन नंबर 70 स्वीकृत तारीख 20. 08.1971 को निरस्त करने का आदेश प्रदान करावे।इसी के साथ अपीलांटस द्वारा प्रार्थना पत्र बाबत धारा 5 लिमिटेशन एक्ट का भी पेश किया गया।

बहस उभय पक्ष सुनी गई। वकील अपीलांट द्वारा अपील में वर्णित तथ्यों को विस्तृत रुप से दोहराते हुए कथन किया गया है,कि जामा व पाता दोनो सगे भाई व कोला के पुत्र थे।जामा पुत्र

कोला के फौत होने पर ग्राम डडूसन तहसील सांचोर कानामान्तरकरण संख्या 70 पटवारी हल्का द्वारा भरा गया जिसे नायब तहसीलदार सांचोर द्वारा दिनांक 20.08.1971 को स्वीकृत किया गया।इस नामान्तरकरण में जामा के उत्तराधिकारियो के नाम दर्ज नही कर जामा के भाई पाता पुत्र कोला के नाम खातेदारी का ईन्द्राज कर दिया गया।भाई के नाम नामान्तरकरण तब भर सकते है जब मृतक अविवाहित हो या बिना वारिश के हो।नामान्तरकरण संख्या 70 में वर्णित भूमि पर अपीलांट का समान रूप से कब्जा काश्त चला आ रहा है।जामा व पाता दोनो ही फौत हो चुके है,उनके वारिशान पौते काबिज काश्त है।जबकि राजस्व रेकर्ड में पाता के ही वारिशान के नाम खातेदारी दर्ज है।नियम विरूद्ध स्वीकृत हुये म्युटेशन के विरूद्ध अपील प्रस्तुत किये जाने पर म्याद बाधित नही होती है।अत:अपील स्वीकार फरमाई जाकर नामान्तरकरण संख्या 70 दिनांक 20.08.1971 निरस्त करते हुये हमारे हक हकूक के निर्धारण हेतु प्रकरण रिमाण्ड के आदेश करावे।

रेस्पोडेन्ट अधिवक्ता द्वारा बहस के दौरान तर्क दिया गया कि अपीलांट द्वारा करीबन 48 वर्ष बाद यह अपील प्रस्तुत की गई है।अपील देरी से प्रस्तुत करने पर प्रत्येक दिन का विवरण लिमिटेशन प्रार्थना पत्र में देना होता है।जो अपीलांट द्वारा विवरण प्रस्तुत नही किया गया है जिसके कारण अपील अन्दर म्याद शुमार किये जाने योग्य नही है।साथ ही पाता के फौत होने के बाद उनके पौते होने का कथन करते हुये अपीलांट द्वारा यह अपील पेश की गई है।अत:अपीलांट को खातेदारी हक प्राप्त करने के लिये सक्षम न्यायालय में वाद प्रस्तुत करना चाहिये अपील के जरिये खातेदारी हक कानूनन दिये जाने योग्य नही होने से अपीलांट की अपील खारिज करावे।

हमने पत्रावली का अध्ययन किया एवं बहस के बिन्दुओ पर मनन भी किया। ग्राम डडूसन तहसील सांचोर के नामान्तरकरण संख्या 70 स्वीकृत दिनांक 20.08.1971 अनुसार खसरा नंबर 138 रकबा 62 बीघा के जामा, पाता पिसरान कोला कौम कलबी साकिन देह खातेदार थे।जामा फौत होने पर उसके भाई पाता के नाम उक्त नामान्तरकरण भरा गया जो दिनांक 20.08.1971 को स्वीकृत हुआ।अपीलांट द्वारा अपील में यह कथन किया है कि फौतेदगी म्युटेशन स्वीकृत करने का अधिकार ग्राम पंचायत को है।जबकि पटवारी हल्का द्वारा ग्राम पंचायत में पेश नही किया गया।जामा के फौतेदगी के बारे में कोई रिपोर्ट, मृत्यु प्रमाण पत्र,उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र आदि रेकर्ड पर लिये बिना तथा वारिशो की बिना सुनवाई किये ही उत्तराधिकारियो के नाम नामान्तरकरण नही भरा जाकर मृतक जामा के भाई पाता के नाम भरा गया है।जो उत्तराधिकार अधिनियम के विरूद्ध है।यद्यपि अपीलांट द्वारा यह अपील 48 वर्ष बाद देरी से

अवश्य प्रस्तुत की गयी है।तथा लिमिटेशन एक्ट के अन्तर्गत प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र में देरी के पर्याप्त कारण भी व्यक्त नही किये गये है।परन्तु किसी भी व्यक्ति को पुश्तैनी खातेदारी भूमि मे प्राप्त होने वाले अधिकारो से वंछित रखे जाने के कोई कानूननी प्रावधान नही है।साथ ही गैर कानूनी प्रक्रिया के तहत निर्णित हुये नामान्तरकरण Ab intio void होने से लिमिटेशन संबंधी प्रावधान लागू नही होते है।जिसके आधार पर अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।

अत:उपरोक्त विवेचन के अनुसार अपीलांट की अपील अन्दर म्याद शुमार की जाती है।तथा अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 70 स्वीकृत दिनांक 20.08.1971 को निरस्त किया जाकर प्रकरण तहसीलदार सांचोर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि दोनो पक्षो को सुनवाई के पर्याप्त अवसर देकर साक्ष्यो व कानून के प्रावधानो के आधार पुन: विधिसम्मत नामान्तरकरण निरस्तारण संबंधी निर्णय करे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(महेन्द्र सोनी)
जिला कलेक्टर जालोर

निर्णय आज दिनांक 23.10.2019 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(महेन्द्र सोनी)
जिला कलेक्टर, जालोर

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahendra Soni
Date: 2019.11.26 13:22:40 IST
Reason: SelfAttested
Location: